फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती अम्बा बाई वनाम विपक्षी : श्री छोगालाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 13/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 24.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाई गई। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी के काउन्टर प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र में बताया कि मौजा वाना पटवार हल्का वाना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.में आराजी नम्बर 580 रकबा 11 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी सं. 1 छोगालाल के नाम अंकित हैं। उक्त वर्णित भूमि पहले पन्नालाल पिता चतरभुज जी पानेरी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी और पन्नालाल जी द्वारा यह भूमि संवत् 2026 का मगराद वीद 6 को विपक्षी रूपलाल के भाई अम्बाशंकर को 1050/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया व इस आशय का एक बिकावनामा लिख निष्पादित कर दिया जिसके बाद पन्नालाल का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं रहा और अम्बाशंकर ने उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा सवंत् 2026 का मगसद वीद 7 को विपक्षी रूपलाल को 525/–रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया व इस आशय का एक बिकाव नामा लिख निष्पादित कर दिया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को बेदखल करने की धमकी दिये जाने से प्रार्थी को काउन्टर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा काउन्टर प्रार्थना का किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी अनुपस्थित हैं।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा क्रय किये जाने का कथन कहा इस हेतु बिकाव नामे की प्रति पेश की। उक्त बिकाव नामे की सत्यता को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। इस पत्रावली में हमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु ही तय करने हैं। अतः प्रकरण में विपक्षी का हित निहित होने प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षी के पक्ष में निर्णित किये जाने से विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाना पटवार हल्का वाना हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2052–55 की आराजी नम्बर 580 रकबा 11 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested